

राजस्व पर्वद, बिहार, पटना

सं०सं०-०२/परी०-०९(को०प्र०)-०९/२०१९-

शुद्धि-पत्र

पर्वदीय पत्रांक-१७८४ दिनांक १९.०९.२०१९ के क्रमांक -२६ पर अंकित विवरणानुसार Dr. Mrityunjay Kumar Pandit, Tutor, Department Of Pharmacology, J.L.N.M.C, Bhagalpur के कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को स्वीकृति प्रदान की गई थी।

जिला पदाधिकारी Bhagalpur के ज्ञापांक-१३१८ दिनांक-११.०९.२०१९ द्वारा निर्गत शुद्धि पत्र में अनुरोध किया गया है कि उनके पूर्व में निर्गत प्रमाण-पत्र में टंकण भूलवश "Dr. Mrityunjay Kumar Pandit" के स्थान पर "Dr. Mritunjay Kumar Pandit" अंकित हो गया था जिसे "Dr. Mrityunjay Kumar Pandit" पढ़ा जाय।

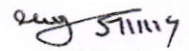
उक्त के आलोक में पर्वदीय पत्रांक-१७८४ दिनांक-१९.०९.२०१९ द्वारा निर्गत स्वीकृति पत्र के क्रमांक-२६ पर पदाधिकारी का नाम/पदनाम/पता कॉलम के अन्तर्गत "Dr. Mritunjay Kumar Pandit" के स्थान पर "Dr. Mrityunjay Kumar Pandit" पढ़ा जाय। शेष विवरण यथावत् रहेंगे।

ह०/-

अवर सचिव

राजस्व पर्वद, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं०सं०-०२/परी०-०९(को०प्र०)-०९/२०१९- १०४९ पटना, दिनांक:- ०५-११-२०१९
प्रतिलिपि:- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना /अवर सचिव, (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं Dr. Mrityunjay Kumar Pandit, Tutor, Department Of Pharmacology, J.L.N.M.C, Bhagalpur को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अवर सचिव

राजस्व पर्वद, बिहार, पटना।

